

**लोक शिक्षण संचालनालय**

**मराठवाडा**

क्र / शिक / बी / संवि / ६४ / २०१० / १९

भोपाल दिनांक १२ / ११ / १०

॥ आदेश ॥

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ १-४९/२००८/२०-१ दिनांक २६.०४.०८ व उल्लेखित परिपत्र दिनांक ८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-२ व द्वारा जारी अनुमति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान तथा वैतनमान ५ दिनके द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाइस कोड	कार्यरत निकाय	कार्यरत एवं अतिरिक्त निकाय का नाम तथा उनके हारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक	संविलियन निकाय	लोक शिक्षण संस्था/जिले का डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती गीना नामले वरि. अ. (रसायन) श. क. उ. भा. वि खरगापुर जिला-टीकमगढ़	BD2629	23080177 705	नगर पंचायत खरगापुर जि. क्र. 738/1 दिनांक ०६.११.२००९	नगरपालिका परिषद मुलताई जि. क्र. 1300 दि ०९.११.०९ शान्त मावि मुलताई	नगरपालिका परिषद मुलताई जि. क्र. 1300 दि ०९.११.०९	23350877 711	

**संविलियन की शर्तें :-**

1. यह अनुमति तालिका के कालम-६ में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/राहायक अध्यापक के उसी तरीके द्वारा विषय वाचन वैतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-२ के अन्तर्गत संविलियन दिया जायगा।
3. तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/राहायक/अध्यापक के विकलान्त विषय वाचन वैतनमान वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
4. तालिका के कालम-६ में अकित निकाय द्वारा योगदान आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-५ में अकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/राहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यस्थ है तथा उसके नियुक्त आदेश की वैद्यता तथा विकलान्त विषय वाचन प्रकरण होने की स्थिति में ४० प्रतिशत से अधिक विकलान्त के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरात ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-६ में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कार्यवालियों में सदसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के राबथ में स्वीकृत रिस्ट्र पद रखी गती है ही इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरात ही संविलियन नीचे अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकार्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविलियन नीचे अधिकारी से कराने के उपरात एवं एक दिन की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जाय।
9. तालिका की कालम-२ में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विकलान्त विषय वाचन व्यायालंबी प्रकरण परिवर्त्तन होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश रवायमेव निरस्त माना जाएगा।

*M/S*

- 10 वर्ष 2001 की गती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला ईश्वरीन की प्रभावात्मक तथा न अपेक्षित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276 / 2003 एवं अन्य 'सेविन' आपेक्षित व पारित निर्णय के अध्यर्थीन की गई है। अत उक्त रायिलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त नाम होगी।
11. तालिका के कालम- 5 एवं 6 में अकिला निकायी द्वारा जारी अनापरित प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं इनकी पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुरित सुनिश्चित करने के संपरकत हैं अद्य।
12. संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित नियमों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए ताकि शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न जाए। "आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

१५३।।  
उप सचिव

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल दिनांक / २ / ३ । । ।

पृ. क / शि.क. / बी / संवि / ६८ / २०१० / । । । ।  
प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, गा. मती जी/ राज्य मती जी रक्तुल शिक्षा विभाग और आर सूचनार्थ याचना;
2. प्रमुख सचिव, मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर पालिका निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पचायत, मध्यप्रदेश के ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरात ही उन कार्यमुक्त/कार्यभार घटण करायें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
7. संबंधित जनपद पचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरात ही उन्हे कार्यमुक्त/कार्यभार घटण कराए। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पचायत मध्यप्रदेश की आर नज़ीक लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों ही आवश्यक अभिलेखों/संपर्क गति उत्तीर्ण संपरात ही उन कार्यमुक्त/कार्यभार घटण कराएं।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित स्कूल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा जावयात्र कार्यालयीन है।
11. संबंधित की आर सूचनार्थ।

१५३।।  
उप सचिव

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश